Recd
31/07/2021

कार्यालयः प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।

85, राजपुर रोड़, देहरादून 248001, फोन न0 01352740926
Email:pccfvanpanchayat@gmail.com

पत्रांक– 87 /18-5 दिनांक : 31/7/, 2021

कार्यालय आदेश

पचायती वन नियमावली 2005 (संशोधित 2012) के नियम 16 (ड) के वन रक्षक/वन दरोगा/उप राजिक को प्रबंधन समिति का सचिव नामित किया गया है। वन पंचायतो के प्रबंधन में वन पंचायत सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन पंचायती वन नियमावली मे अभी तक वन पंचायत सचिव के कर्तव्य निहित नही है। उक्त के मध्यनजर वन पंचायतों के कार्यो को सुचारू रूप से संपादन करने के लिये वन पंचायत प्रबन्धन समिति के सदस्य सचिव के कार्य निम्नानुसार तय किये जाते है:

1. वन पांचयत प्रबन्धन समिति की आम सभा की बैठक एवं नियमित मासिक बैठक में प्रतिभाग करना।
2. वन पंचायत प्रबन्धन समिति को माइक्रोप्लान व वार्षिक कार्य योजना के निरूपण में सहयोग एव मार्गदर्शन प्रदान करना।
3. वन पंचायत प्रबन्धन समिति को तकनीकी तथा वित्तीय परामर्श प्रदान करना।
4. उपयोगकर्ताओं को दिये गये प्रकाष्ठ अथवा अन्य वन उपज के सही उपयोग को सत्यापित करना।
5. पंचायती वन के अधिकारधारियों की सूची अपेक्षित कार्यवाही हेतु संधारित करना तथा कृत कार्यवाही से वन क्षेत्रधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी को सूचित करना।
6. वन पंचायत सचिव को वन पंचायत के चुनाव की ध्यावधिक स्थिति पूर्ण सूचना संधारित करना व जिस वन पंचायत में प्रबन्ध समिति के चुनाव भविष्य में होने है, कि सूचना समयान्तर्गत उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
7. वन पंचायतों के गठन, सीमांकन, बेदखली, अधिकार धारण, आय–व्यय व वन पंचायतों से सम्बन्धित अन्य समस्त अभिलेखों को संधारित कर अपने अभिरक्षा में रखना।
8. पचायती वन में अवैध अतिक्रमण व अतिक्रमणकारियों की सूची आवश्यक/वैधानिक कार्यवाही हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से परगना मजिस्ट्रट को प्रेषित करना।
9. यदि कोई अपराधी प्रबन्धन समिति के निर्णय को नहीं मानता है तो सुसंगत नियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ करना।
10. वन पंचायत से सम्बन्धित अन्य कोई आवश्यक कार्य जो प्रभागीय वनाधिकारी देना चाहें।

उक्त आदेश प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून की सहमति से जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

31/7/21
(ज्योत्सना सितलिंग)
प्रमुख वन संरक्षक,
वन पंचायत, उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, मुख्य वन्यजीव/प्रतिपालक, देहरादून।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, उत्तराखण्ड।

31/7/21
प्रमुख वन संरक्षक,
वन पंचायत, उत्तराखण्ड।